न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

मैनुअ

ल प्र.सं. : 40/2023

जीसीएमएस : 2023/313

1. स्वर्ण सिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन 2 एलसी तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
2. देवीलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

बनाम

1. ओमप्रकाकश पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 3एम एस डी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
2. दलीप पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 3एम एस डी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 3एम एस डी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
4. इन्द्रजीत पुत्र श्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
5. सतपाल पुत्र श्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
6. कमलदीप पुत्र श्री जसकरण सिहं जाति जटसिख निवासी श्री गगांनगर तहसील श्री गगांनगर जिला श्री गंगानगर।
7. जगदेव सिहं पुत्र श्री गुरदेव सिहं जाति जटसिख निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री अनूपगढ
8. जगदीश पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन डाबला तह.रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
9. मनोज कुमार पुत्र श्री सतपाल जाति बिश्नोई साकिन डाबला तह.रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
10. स्वर्णजीत सिहं पुत्र श्री मखन सिहं जाति जटसिख साकिन डाबला तह.रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
11. जगदीश पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन डाबला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
12. अनिल पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन डाबला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
13. मांगी लाल पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन डाबला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
14. मोहन लाल पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन डाबला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
15. जगदीश पुत्र श्री बनवारीलाल जाति बिश्नोई साकिन 3एम एस डी तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
16. कृष्ण सिंह पुत्र श्री हरनाम सिहं जाति बावरी साकिन 3एम एस डी तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

श्री अजीतसिहं मुंजाल अधि. प्रार्थीगण।

एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

—:निर्णय:— दिनांक 30.08.2024

1.संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्वर्ण सिहं वगैरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी जोत वाके चक 2 एल सी के खाता नं. 180/146 के मु.न. 18 प.न. 143/336 के 2.4450 है0नहरी भूमि गैर मु.रास्ता व खाला राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी स्वर्ण सिह पुत्र गुरदवे सिहं व चक 3एम एस डी के खाता नं. 109/88 मु.न. 78 प.न. 144/337 के 2.1090 है0नहरी भूमि में 1/4 हिस्सा देवी लाल पुत्र रामनारायण के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में दिर्ज है। जिसमें रास्ता स्वीकृत हेतु वाके चक 2 एल सी का खाता सं. 19/15 के मु.न. 40 प.न. 143/337 के कि.न. 1–10–11–20/1 प्रत्येक में 126 फुट (0. 019है.)पश्चिमी पासा व इसी चक के खाता नं. 104/89 प.न. 143/337 के कि.न. 21 में 12.6फुट (0.019है.)पश्चिमी पासा व चक 3 एम एस डी के खाता नं. 53/45 के मु.न. 78 प.न. 144/337 के कि.न. 5–6 प्रत्येक में 4–4 फुट(0.006,0.006है.)पूर्वी पासा व चक 3 एम एस डी खाता नें. 1.09/88 के कि.न. 15–16/1 प्रत्येक में 4 फुट (0.006है.) पूर्वी पासा व चक 3 एम एस डी का खाता नं. 32/29 मु.न. 78 प.न.144/337 के कि.न. 25/1 में 4 फुट (0.006है.)
पूर्वी पासा व चक 3 एम एस डी का खाता नं. 20/19 मु.न. 93 प.न. 144/339 के कि.न. 1–2–3 प्रत्येक में 16 फुट (0.025 है0 प्रत्येक में) व चक 3 एम एस डी का खाता नं. 34/30 मु.न. 93 प.न. 144/339 के कि.न. 4–5 प्रत्येक में 12 फुट (0.018 है.) उतरी पासा की ओर व चक 3 एम एस डी का खाता नं. 33/109 मु.न. 92 प.न. 144/338के कि.न. 25 में पूर्वी दक्षिणी कोनॅर 16 फुट (0.025 है.) में उपरोक्तानुसार नहरी/बारानी भूमि में रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। उक्त रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। चक 1 एम एस डी तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 1 के कि.न. 1–10–11–20–21 में 33 फुट रास्ता पश्चिमी पासा की ओर पूर्व में स्वीकृत शुदा है। चक 3 एम एस डी का मु.न. 94–91 में हरिपुरा से श्री विजयनगर वाया 7 एस सी रोड राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत शुदा है ओर चक 3 एम एस डी का मु.न. 94 में चक 3 एम एस डी की आबादी रिहायस है ओर कि.न. 1 ता 5 में पूर्वी उतरी पासा की ओर रास्ता स्वीृत है जो उक्त रास्ता हरिपुरा श्री विजयनगर रोड से जुडता है।

हम प्रार्थीगण अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति से अपनी रकबा में सुविधाजनक ढंग से आने जाने के लिए उपरोक्तानुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जिसमें सभी काश्तकारान की सहमति है। उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है। अपनी सहमति प्रार्थना–पत्र दी हुई है। तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/857 दिनांक 23.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण के नाम चक 2 एल सी में 2.455है0 व चक 3एम एस डी में 2.109है. कमाण्ड भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 16 के नाम चक 3 एम एस डी के खाता नं. 109–104–32–53–33–34–20 व चक 2 एल सी के खाता नं. 19 में मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यकता की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मॉग स्वयं के साथ–साथ मौके पर बसी हुई आबादी में आने जाने के लिये की गई है।

प्रार्थी की आबादी भूमि में अपने खेत में जाने के लिये अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं , यही निकटतम मार्ग है।

प्रार्थीगण को चक 2 एल सी के मु.न. 40 के कि.न. 1–10–11– 20/1–21 प्रत्येक में 0.019 है. तथा इसी के पश्चिम दिशा में चक 3 एम एस डी के मु.न. 78 के कि.न. 5–6–15–16–25/1 प्रत्येक में 0.006 है. व इसी चक के मु.न. 93 के [illegible] 3 प्रत्येक में 0.025 है. व इसी मुरब्बा नं. 93 के कि.न. 4 के 0.018 है. तथा चक [illegible] के मु. न. 92 के कि.न. 25 में 0.018 है. कि.न. 24 में 0.00[illegible] है. (दक्षिणी –पूर्वी [illegible] कोनॅर)में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। रिपोर्ट [illegible] निरीक्षक , फर्द मौका सहमति पक्षकारान मय नज[illegible] पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

किया गया है। रास्ता स्वीकृत किया जाना की अभिशाषां की है। विकल्प निकटतम दूरी पर है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि/आबादी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्राथीगण को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ता अप्रार्थीगण ने इकबाल प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अगर प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर व, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि चक 2 एल सी के मु.न. 40 के कि.न. 1–10–11– 20/1–21 प्रत्येक में 0.019 है. तथा इसी के पश्चिम दिशा में चक 3 एम एस डी के मु.न. 78 के कि.न. 5–6–15–16–25/1 प्रत्येक में 0.006 है. व इसी चक के मु.न. 93 के कि.न. 1ता 3 प्रत्येक में 0.025 है. व इसी मुरब्बा नं. 93 के कि.न. 4 के 0.018 है. तथा चक 3 एम एस डी के मु.न. 92 के कि.न. 25 में 0.018 है. कि.न. 24 में 0.002 है. (दक्षिणी –पूर्वी दिशा कॉर्नर)में रास्ता प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि/ आबादी में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र है। यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 51 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एल सी के मु.न. 40 के कि.न. 1–10–11– 20/1–21 प्रत्येक में 0.019 है. तथा इसी पश्चिम दिशा में चक 3 एम एस डी के मु.न. 78 के कि.न. 5–6–15–16–25/1 प्रत्येक में 006 है. व इसी चक के मु.न. 93 के कि.न. 1ता 3 प्रत्येक में 0.025 है. व इसी मुरब्बा नं. 93 कि.न. 4 के 0.018 है. तथा चक 3 एम एस डी के मु.न. 92 के कि.न. 25 में 0.018 है. कि. 24 में 0.002 है. (दक्षिणी –पूर्वी दिशा कॉर्नर)में रास्ता तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशाषां एवं अप्राथीगण की सहमति के अनुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested